[illegible]
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]
[illegible]तारांकित प्रश्न [illegible]: 816
23 [illegible], 2021 [illegible] प्रश्न [illegible]

वैक्सीन नीति म परिवतन

816.श्री [illegible]:

श्री[illegible]:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने समय-समय पर कोविड वैक्सीन की आवंटन और टीकाकरण नीति म परिवतन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण ह;

(ख) राज्यों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन के वितरण के लिए क्या मानदंड तैयार किए गए ह;

(ग) अब तक वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेने वाले नागरिकों की पृथक रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या शुरुआत म भारत ने देश म दूसरी लहर के प्रभाव और वैक्सीन की आवश्यकता का आकलन किए बिना वैक्सीन का नियात किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण ह;

(ङ) अब तक खरीद या दान के रूप म विदेशी वैक्सीन की कुल कितनी खुराक प्राप्त हुई है और सरकार द्वारा देश के सभी पात्र लोगों को टीका लगाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) कोविड टीकाकरण के लिए पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कायकता के रूप म चिन्हित नहीं करने और उन्ह प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण ह?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] (डॉ. [illegible] प्र[illegible])

(क) 16 जनवरी से 30 अप्रैल 2021 तक राष्ट्रीय कोविड टीकाकण कायक्रम के अंतगत, भारत सरकार द्वारा 100% वैक्सीन खुराक खरीदी गई थी तथा राज्य सरकारों को निःशुल्क प्रदान की गई थी।

1 मई से 20 जून 2021 तक, "उदारीकृत मूल्य निधारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कायनीति" लागू की गई थी ताकि वैक्सीन निमाताओं द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा नई कोविड-19 वैक्सीन को प्रोत्साहित किया जा सके । इस कायनीति के तहत, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी अस्पतालों को सीधे विनिमाताओं से कोविड-19 वैक्सीन की खरीद करने की अनुमति थी । भारत सरकार द्वारा घरेलू विनिमाताओं से मासिक वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीदी गई तथा राज्य सरकार और निजी अस्पताल शेष 50% खुराक खरीद रहे थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध खुराकों की मात्रा 18 से 44 वष की राज्यवार आबादी के यथानुपात आधार पर निकाली जाती थी.

"राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कायक्रम के कायन्वयन संबंधी संशोधित दिशा-निदश"8 जून 2021 को जारी किए गए थे यह 21 जून 2021 से प्रभावी होने थे जिसके तहत भारत सरकार देश म उत्पादित कोविड-19 टीकों का 75% खरीदी रही है तथा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को निशुल्क प्रदान कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों को नि:शुल्क टीका लगाएंगे । घरेलू विनिमाताओं के पास यह विकल्प है कि वह अपने मासिक वैक्सीन उत्पादन का 25% सीधे निजी अस्पतालों को प्रदान कर सकते ह।

1 मई 2021 से प्राप्त अनुभवों तथा राज्यों से प्राप्त लगातार अनुरोधों के आलोक म दिशा-निदशों की समीक्षा की गई तथा संशोधन किया गया।

(ख). भारत सरकार द्वारा निशुल्क प्रदत वैक्सीन खुराक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित आबादी के यथानुपात,राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों म टीकाकरण की प्रगति तथा वैक्सीन की बबादी जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाती ह।

(ग). कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक प्राप्त नागरिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक म दी गई है।

(घ). भारत सरकार ने देश म वैक्सीनों की उपलब्धता के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित रखी है। वैक्सीनों की नियात की गई मात्रा म घरेलू विनिमाताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत कोवैक्स के संबंध म की गई प्रतिबद्धता तथा अन्य देशों / संगठनों को इनकी वैयक्तिक प्रतिबद्धता तथा "वैक्सीन मैत्री" पहल के माध्यम से आपूर्ति की गई वैक्सीन शामिल ह।

(ङ). आज की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा दान के रूप म कोई विदेशी कोविड-19 वैक्सीन खरीदी अथवा प्राप्त नहीं की गई है। कोविड-19 महामारी की गतिशील और उभरती प्रवृति के आलोक म, टीकाकरण अभियान की समाप्ति की कोई निर्धारित समय-सीमा दशाई नहीं जा सकती, तथापि, आशा है कि 18 वष और उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थी दिसंबर 2021 तक टीकाकृत हो जाएंगे।

(च). कोविड-19 टीकाकरण समवर्ती वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी)द्वारा मागदर्शित है। टीकाकरण संबंधी प्राथमिकता महामारी प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा के उद्देश्य से तथा कोविड-19 से होने वाली बीमारी और मौतों म कमी लाने के लिए तय की गई है। बाद म आयु आधारित प्राथमिकता का अनुपालन किया गया, जिसे न्यायसंगत माना गया और ऐसा पूरी दुनिया म किया गया है।

अनुलग्नक

□□□□□-19 वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक से टीकाकृत नागरिकों की राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-□□□ □ख□□

(20 □□□□ 2021□□□□□□)

| क्र□ □□ | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
|---|---|---|---|
| 1 | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1,81,725 | 79,542 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,45,59,253 | 42,38,908 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 6,35,285 | 1,41,833 |
| 4 | असम | 73,82,885 | 15,57,222 |
| 5 | बिहार | 1,81,16,037 | 32,27,229 |
| 6 | चंडीगढ़ | 5,49,385 | 1,43,843 |
| 7 | छत्तीसगढ | 90,06,605 | 20,93,764 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 2,89,431 | 31,816 |
| 9 | दमन और दीव | 2,25,343 | 35,733 |
| 10 | दिल्ली | 71,58,176 | 22,25,291 |
| 11 | गोवा | 9,85,642 | 2,16,947 |
| 12 | गुजरात | 2,28,50,251 | 69,02,088 |
| 13 | हरियाणा | 86,33,560 | 20,62,920 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 35,42,306 | 10,65,433 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 45,86,665 | 10,36,891 |
| 16 | झारखंड | 68,49,074 | 15,00,637 |
| 17 | कनाटक | 2,21,88,552 | 54,08,325 |
| 18 | केरल | 1,21,57,109 | 49,01,973 |
| 19 | लद्दाख | 1,85,146 | 62,381 |
| 20 | लक्षद्वीप | 49,064 | 13,282 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 2,15,52,669 | 41,27,473 |
| 22 | महाराष्ट्र | 3,06,36,740 | 92,75,340 |
| 23 | मणिपुर | 9,47,072 | 1,10,389 |
| 24 | मेघालय | 7,88,294 | 1,26,750 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | मिजोरम | 6,14,394 | 1,37,962 |
| 26 | नगालड | 5,60,660 | 1,18,686 |
| 27 | उड़ीसा | 1,13,30,737 | 32,42,484 |
| 28 | पुदुचेरी | 5,23,893 | 1,30,293 |
| 29 | पंजाब | 72,59,314 | 15,58,644 |
| 30 | राजस्थान | 2,32,95,731 | 57,09,586 |
| 31 | सिक्किम | 4,65,924 | 1,36,777 |
| 32 | तमिलनाडु | 1,62,14,280 | 35,36,983 |
| 33 | तेलंगाना | 1,09,41,218 | 25,12,879 |
| 34 | त्रिपुरा | 21,53,732 | 7,02,134 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 3,43,94,183 | 66,57,551 |
| 36 | उत्तराखंड | 40,88,707 | 12,10,234 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 1,87,51,077 | 76,74,598 |
| 38 | विविध | 17,42,664 | 15,38,797 |
| | भारत | 32,63,92,783 | 8,54,53,618 |